समाहरणालय मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

पत्रांक................../स्था0,

सपत्र

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (विज्ञापन)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

मधेपुरा, दिनांक– 2017

विषय :– **क्षेत्रीय कार्यालय में सेवा निवृत कर्मियों के संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभागीय संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 एवं पत्रांक–3815, दिनांक–11.03.2016 के प्रावधानों के आलोक में सेवानिवृत्त कर्मियों से जिला में वर्ग–3 के पद यथा राजस्व कर्मचारी के संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सूचना का प्रारूप एवं आवेदन हेतु विहित प्रपत्र, सी0डी0 सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है।

अनुरोध है कि सेवानिवृत कर्मियों के संविदा पर नियोजन हेतु सूचना विहित प्रपत्र सहित कम से कम दो दैनिक हिन्दी सामाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–

1. सूचना का प्रारूप
2. आवेदन का विहित प्रपत्र
3. सी0डी0–01

विश्वासभाजन

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक......81-2....../स्था0, मधेपुरा, दिनांक......08.02.2017......

प्रतिलिपिः– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला स्थापना शाखा)

<u>मधेपुरा जिला में संविदा के आधार पर सेवानिवृत कर्मियों के नियोजन हेतु आवश्यक सूचनाः-</u>

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 के आलोक में मधेपुरा जिला में संविदा के आधार पर सेवानिवृत राजस्व कर्मचारी के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियोजन हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में निबंधित डाक के माध्यम से जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के कार्यालय में दिनांक-15.02.2017 से दिनांक-15.03.2017 तक के अपराह्न 5.00 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं।

रिक्तियों का विवरण :-

पदनाम	अनारक्षित	अ0पि0व0	अनु0जाति	अनु0 जनजाति	पि0वर्ग	पि0वर्ग महिला	कुल रिक्ति
राजस्व कर्मचारी	56	24	29	05	15	04	133

निर्धारित तिथि के पूर्व या बाद में प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। साक्षात्कार की तिथि का प्रकाशन मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर किया जायेगा। जिसे मधेपुरा जिले के वेबसाईट <u>www.madhepura.bih.nic.in</u> पर देखा जा सकता है।

2. **<u>नियोजन की शर्त्त :-</u>**

(क) किसी पद विशेष से सेवानिवृत सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरूद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(ख) एक विभाग/ जिला से सेवानिवृत सरकारी सेवक अन्य विभाग/जिला में भी नियोजन के लिये पात्र माने जायेंगे।

(ग) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षो अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिये होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिये उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत सरकारी सेवक का संविदा विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की सहमति से 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

(घ) उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

(ङ) संविदा के आधार पर नियोजन विभाग में पूर्व से उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध किया जायेगा। नियमित नियुक्ति होने के साथ इनकी सेवायें स्वतः समाप्त कर दी जायेगी।

(च) चयन आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर होगा।

(छ) नियोजन हेतु सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

(ज) संविदा पर नियोजित सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महगाई राहत को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परन्तु पेंशन

पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/ कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये अदायगियों ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(झ) सेवानिवृत और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनर्रीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

(ञ) नयी पेंशन योजना से सेवानिवृत सरकारी सेवक का संविदा नियोजन :-

(I) नयी पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत सरकारी सेवक को संविदा पर नियोजन सेवानिवृति के समय धारित पद /समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा।

(II) ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिये अनुमान्य पे बैण्ड का प्रारम्भिक वेतन + उस प्रारम्भिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महगाई भत्ता की राशि के योगफल के समतुल्य होगा। परन्तु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृति के समय प्राप्त वेतन एवं उसपर अनुमान्य महगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं हागी। अधिक होने के स्थिति में सेवानिवृति के समय वेतन + महगाई भत्ता का योगफल भी पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।

(ट) उक्त प्रक्रिया के अधीन निम्नांकित सरकारी सेवकों की सेवायें नहीं ली जा सकेगीः

(I) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा है।

(II) जिन पर कोई विभागीय कार्रवाई चल रहा है।

(III) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।

(IV) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।

(V) चयन समिति की दृष्टि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो सक्षम प्रतीत न हो।

नोट :- क्रमांक I से IV तक के संबंध में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

1. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

विहित प्रपत्र

1. आवेदक का नाम :...
2. विभाग / कार्यालय का नाम :...
   (जहां से सेवा निवृत्त हुए है)
2. जिला का नाम (जहां के लिये आवेदक इच्छुक हैं।)..
3. जन्म तिथि :...(प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)

   नियुक्ति तिथि :...
6. सेवानिवृति की तिथि :..
7. अंतिम वेतन :–
   - (I) मूल वेतन :–
   - (II) वेतनमान :–
   - (III) ग्रेड पे :–
8. सेवानिवृति के समय धारित पद :...
9. पेंशन स्वीकृति की स्थिति :..
   - (I) स्वीकृत : ( )
   - (II) स्वीकृत नहीं : ( )
   - (III) औपबंधिक स्वीकृत :( )

   (सही (√) का निशान लगायें)
   (आदेश की प्रति संलग्न करें)
10. पेंशन की स्वीकृत राशि :..
    पेंशन + मंहगाई राहत आदि (कुल जोडकर):...
11. नई पेंशन योजना से सेवानिवृत कर्मी–
12. सेवानिवृति की तिथि या पूर्व में विभागीय आरोप / विभागीय कार्रवाई की स्थिति :..................................
    ....
13. आरक्षण श्रेणी :..(आरक्षण संबंधी दावा का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)
14. आरोप के निष्पादन की स्थिति अधिरोपित दण्ड का विवरण :......................................
15. वर्त्तमान पता(मोबाईल नं0 के साथ) :...
    ....
16. स्थायी पता :...
    ....
17. घोषणा पत्र : (I) एतद् द्वारा मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है। सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी संविदा नियोजन रद्द किया जा सकता है।

    (II) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 पत्रांक–3815, दिनांक–11.03.2016 की सभी शर्ते मुझे मान्य है।

आवेदक का हस्ताक्षर